3/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी व अन्य आपत्तिकर्ता को निरन्तर कई मर्तबा आवाज लगाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार होकर खारिज किया जाता है। प्रकरण में पूर्व में जारी एक पक्षीय कार्यवाही निषेधाज्ञा दिनांक 19/07/2021 को स्थगित मानी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर इसे नम्बर से दाखिल हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mallipal Singh
Date: 2023.02.22 18:32:50 IST
Reason: SelfAttested